

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्ययनशाला में पंजीकृत शोध छात्र/छात्राओं के लिए यात्रा अनुदान संबंधी मार्गदर्शिका :-

01. राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने हेतु :-

- क. शोध छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय सेमिनार (भारत के भीतर) के आयोजन में भाग लेने हेतु 2nd Class 3 Tier TA, DA & Registration Fees की पात्रता होगी ।
- ख. ऐसे शोध छात्र/छात्राएं जिन्हें विश्वविद्यालय से या अन्य दूसरे संस्थान से शोध छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तथा जिन्हें Contingency का प्रावधान है उन्हें इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

02. अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने हेतु :-

- क. यह यात्रा अनुदान किसी भी शोध छात्र/छात्रा को अपने रिसर्च केरियर में केवल एक बार ही स्वीकृत किया जावेगा ।
- ख. ऐसे शोध छात्र/छात्राएं जिन्हें अपने शोध क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव हो ।
- ग. इस नियम के अंतर्गत शोध छात्र/छात्राओं को कुल यात्रा देयक का जिसमें Airfare, Registration fees & Maintenance Allowance का 50% यात्रा अनुदान राशि जो कि रू० 40,000/- से अधिक न हो स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- घ. यह अनुदान केवल इस वि०वि० के अध्ययनशाला के पंजीकृत शोध छात्र/छात्राओं के लिए ही होगा ।
- अं. टीचर्स फेलो के लिए यह यात्रा अनुदान मान्य नहीं होगा ।

आदेशानुसार

सही

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (अनु० प्रको०)